भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

Z 655249

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

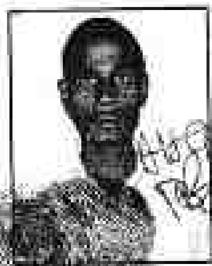

-1-

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि-	रू0 15,86,333/-
बाजारू मूल्य -	रू0 3,61,260/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-	रू0 1,11,100/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम बरौना

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 655250

4. सम्पत्ति का विवरण –भूमि खसरा संख्या 251 रकबा 0.669 हे0 का 1/5 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1338 हे0 स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.1338 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

रु.5000

पाँच हजार रुपये

भारत

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 885636

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेडो की स्थिति – नही

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नही है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 251</u>

उत्तर : खसरा नं0–250,246,247,248

दक्षिण : खसरा नं0–252

संजय

नि० अं०

रामवती

नि० अ० मुन्नी

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685638

-4-

पूरब : खसरा नं0–275

पश्चिम : खसरा नं0–256, 257

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685637

-5-

प्रथम पक्ष की संख्या–4 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री कालीदीन 2. सर्वजीत नाबालिग 3.रामजीत नाबालिग पुत्रगण स्व0 श्री कालीदीन द्वारा संरक्षिका माता राजवती पत्नी स्व0 श्री कालीदीन 4. राजवती पत्नी स्व0 श्री कालीदीन, निवासीगण – चौधरीखेड़ा, बरौना, परगना	:	घुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।

संजय

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685635

बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

संजय

नि० अ० राजवती

नि० अ० मुन्नी

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-7-

यह विक्रय विलेख 1. संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री कालीदीन 2. सर्वजीत नाबालिग 3. रामजीत नाबालिग पुत्रगण स्व0 श्री कालीदीन द्वारा संरक्षिका माता राजवती पत्नी स्व0 श्री कालीदीन 4. राजवती पत्नी स्व0 श्री कालीदीन, निवासीगण –चौधरीखेड़ा, बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ कहा गया है एवम् धुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685644

रायबरेली जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 251 रकबा 0.669 हे0 का 1/5 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1338 हे0 स्थित ग्राम–बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या

अंजना

नि0 अ0 राजवती

नि0 अ0 सुखवती

रू.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685643

TRY. LKO.

29 OCT 2011

00237 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण को उक्त भूमि विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण को पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेतागण अपना हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के

शंकर

नि० अं० भारती   नि० अं० पुष्पा

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685642

TRY. LKO.

25 OCT 20

मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे व भू–दान की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है।

संजय

नि0 अं0 राजवती

नि0 अं0 पुष्पा

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 685647

विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नही लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685646

किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 15,86,333/- (रू0 पन्द्रह लाख छियासी हजार तीन सौ तैतिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 148976

भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 148978

वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारो के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें

संजय

निशान अंगूठा रामवती

निशान अंगूठा रघुनन्दी

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 148977

किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह

रु.5000

Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685645

अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685633

विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 695640

TRY. LKO.

25 OCT

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685641

TRY. LKO

29 OCT 2011

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तंगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 27,00,000/– प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1338 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,61,260/– होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर स्टाम्प रू0 1,11,100/–का जनरल स्टाम्प अदा किया जा

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.

आदर्श कोषागार लखनऊ से जारी

25 OCT 20..

रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

भारत

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 685632

जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने स्वस्थ चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव के अपनी राजी व खुशी से क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 764546

24 OCT 2011

परिशिष्ट विवरण भुगतान

1. विक्रेतागण को रू0 3,96,583/— द्वारा चेक संख्या— 309641 दिनांकित 31.10.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेता को रू0 11,89,750/— द्वारा चेक संख्या— 309642

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 583891

दिनांकित 31.10.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ कैश से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य रू० 15,86,333/- (रू० पन्द्रह लाख छियासी हजार तीन सौ तैंतिस

[illegible] 2141
[illegible] 31.10.11
[illegible]
[illegible] चुन्नी S/o राजा राम

[illegible]

श्री [illegible] 31-03-2014

[illegible]

विक्रय पत्र

1,590,333.00/	362,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी: विक्रेता

श्री संजय कुमार

पुत्र श्री स्व0 कालीदीन

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी चौधरीखेड़ा सरौना लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/10/2011 समय 6:48PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

संजय

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/10/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता

श्री संजय कुमार संजय

पुत्र श्री स्व0 कालीदीन

पेशा कृषि

निवासी चौधरीखेड़ा सरौना लखनऊ

श्री राजवती स्वयं व मोह0 [illegible]

[illegible] (माता)

पुत्र श्री स्व0 [illegible]

पेशा गृहिणी

निवासी चौधरीखेड़ा सरौना लखनऊ

क्रेता

श्री चुन्नी

पुत्र श्री राजाराम चुन्नी

पेशा कृषि

निवासी पुरे [illegible] जिला रायबरेली

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 432736

मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं तथा विक्रेतागण को क्रेता से कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है।

लखनऊ

दिनांक : 31.10.2011

गवाह :–

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाइपकर्ता

(ल[illegible] सिंह)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

31-10-11

पहचानकर्ता

1 श्री [illegible] पंकज पाठक

पुत्र श्री हरिशंकर पाठक

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] लखनऊ

2 श्री राजेन्द्र कुमार

पुत्र श्री शीतला प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी [illegible] बरौला लखनऊ

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
31/10/2011

परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

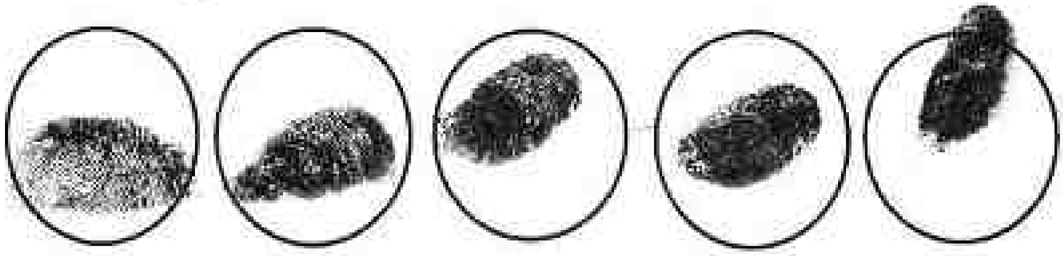

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

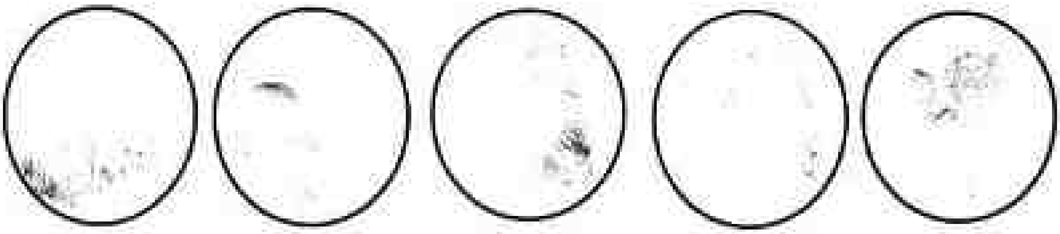

संतराम
विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पताः–सर्वजीत नाबालिग रामजीत नाबालिग पुत्रगण स्व० श्री कालीदीन द्वारा संरक्षिका माता राजवती पत्नी स्व० श्री कालीदीन व राजवती पत्नी स्व० श्री कालीदीन, निवासी – चौधरीखेड़ा, बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

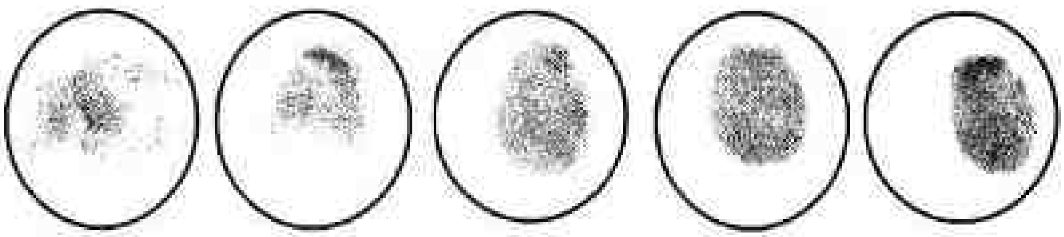

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No.: 15717 Year: 2,011 Book No.: 1

0101 संजय कुमार

स्व0 कालीदीन

[illegible]

कृषि

0102 [illegible]

स्व0 कालीदीन

[illegible]

गृहिणी

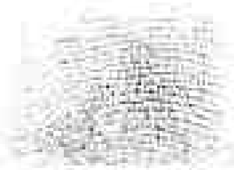

खसरा संख्या → 257

रकबा → 0.1338 हे०

वेळा

Registration No : 15717 Year : 2,011 Book No : 1

0201 [illegible]

[illegible]

पु शिवि शिवाजी शिवाजी राजकीनी

पुणे

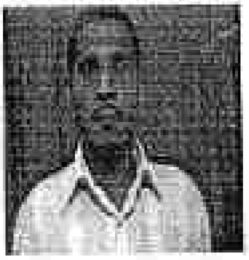

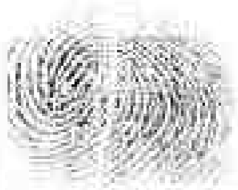

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता का नाम व पता:– घुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

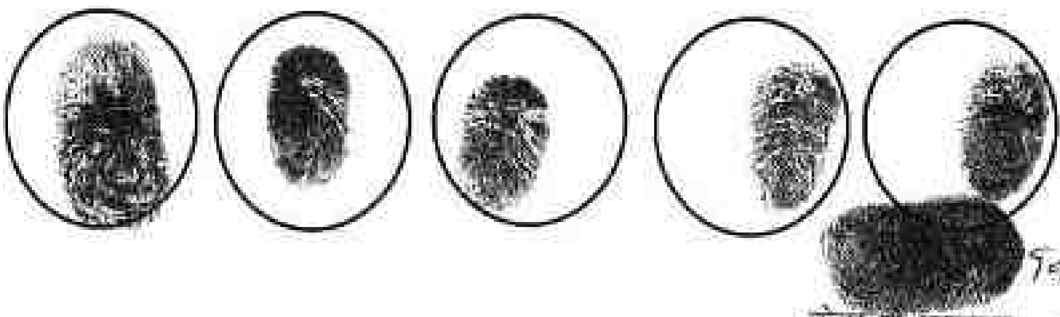

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 31/10/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 13366

पृष्ठ सं. 171 से 224 पर क्रमांक 15717

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/10/2011